क्रम-संख्या--59 (घ)

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी० / एल०
डब्लू० / एन०पी०--91 / 2011--13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग--4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, सोमवार, 24 फरवरी, 2014
फाल्गुन 5, 1935 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
समाज कल्याण अनुभाग--2

संख्या 464/26--2--2014--100(2)-2008
लखनऊ, 24 फरवरी, 2014

अधिसूचना

सा0प0नि०--23

माता--पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (अधिनियम संख्या 56 सन् 2007) की धारा 32 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण नियमावली, 2014

अध्याय--एक

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

1--(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माता--पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण नियमावली, 2014 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।

(3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

D:\810 RPH Niyamawali- Samaj Kal-14.doc

परिभाषाएं

2–(1) जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरणपोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (अधिनियम सं0 56 सन् 2007) से है;

(ख) "आवेदन" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5 के अधीन अधिकरण को किये गये किसी आवेदन से है;

(ग) किसी पुरूष और किसी स्त्री अंतःवासी के संदर्भ में "रक्त नातेदारों" का तात्पर्य पिता–पुत्री, माता–पुत्र एवं भाई–बहन, चचेरे अथवा ममेरे भाई बहन से भिन्न, से है;

(घ) "प्ररुप" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्ररुप से है;

(ड.) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है;

(च) वृद्धाश्रम के संबंध में "अंतःवासी" का तात्पर्य किसी वरिष्ठ नागरिक, जो सम्यक् रूप से ऐसे आश्रम में निवास करने के लिये भर्ती किया गया हो, से है;

(छ) "भरणपोषण अधिकारी" का तात्पर्य धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित अधिकारी से है;

(ज) "विरोधी पक्षकार" का तात्पर्य ऐसे पक्षकार से है, जिसके विरुद्ध धारा 4 के अधीन भरणपोषण हेतु आवेदन दाखिल किया गया हो;

(झ) "पीठासीन अधिकारी" का तात्पर्य धारा 7 की उपधारा (2) के अधीन निर्दिष्ट भरणपोषण अधिकरण या धारा 15 की उपधारा (2) के अधीन किसी अपील अधिकरण की अध्यक्षता करने हेतु नियुक्त किसी अधिकारी से है;

(ञ) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है;

(ट) "धारा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा से है;

(ठ) "अधिकरण" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित भरणपोषण अधिकरण से है।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त और अपरिभाषित किन्तु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए क्रमशः समनुदेशित है।

अध्याय–दो

भरणपोषण अधिकरण एवं सुलह अधिकारी

भरणपोषण अधिकरण का गठन

3–राज्य सरकार, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक परगना में भरणपोषण अधिकरण का गठन करेगी।

सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु पैनल

4–(1) प्रत्येक अधिकरण, धारा 6 की उपधारा (6) के अधीन सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिये सुयोग्य व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करेगा, जिसमें धारा 18 के अधीन पदाभिहित किये गये भरणपोषण अधिकारी सम्मिलित होंगे;

(2) धारा 18 के अधीन पदाविहित भरणपोषण अधिकारियों से भिन्न, उपनियम (1) के अधीन निर्दिष्ट व्यक्तियों को, निम्नलिखित शर्तें पूरी करने के अध्यधीन, चुना जाएगा, अर्थात्:–

(क) वह किसी ऐसे संगठन से जुड़ा हो जो वरिष्ठ नागरिकों तथा/या कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु या शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी–उन्मूलन, महिला समाज कल्याण, ग्रामीण विकास या संबंधित क्षेत्रों में निष्कलंक सेवा अभिलेख सहित कम से कम दो वर्ष से कार्य कर रहा हो;

(ख) वह संगठन का वरिष्ठ पदाधिकारी हो; और

(ग) उसे विधि की अच्छी जानकारी हो :

परन्तु यह कि उस व्यक्ति को भी, जो उपरोक्त उल्लिखित प्रकार के किसी संगठन से जुड़ा न हो, उप नियम (1) में उल्लिखित पैनल में सम्मिलित किया जा सकता है, यदि वह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो, अर्थात्:–

(एक) उसका खण्ड (क) में उल्लिखित एक या अधिक क्षेत्रों में अच्छी और निष्कलंक लोक सेवा का अभिलेख रहा हो; और

(दो) उसे विधि की अच्छी जानकारी हो।

(3) अधिकरण उपनियम (1) में उल्लिखित पैनल को प्रत्येक वर्ष क्रमशः कम से कम दो बार और प्रत्येक समय किसी परिवर्तन के होने पर सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित करेगा।

(4) राज्य सरकार द्वारा सुलह अधिकारी नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) सुलह अधिकारी का कार्यकाल नियुक्ति की दिनांक से तीन वर्षों के लिए होगा।

भरण-पोषण हेतु आवेदन करने तथा उसके रजिस्ट्रीकरण की प्रक्रिया

5–(1) धारा 4 के अधीन भरणपोषण हेतु आवेदन प्ररूप–"क" में अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) और (ख) में अधिकथित रीति से किया जायेगा।

(2) उप नियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर पीठासीन अधिकारी निम्नलिखित कार्य करायेगा–

(क) उसके आवश्यक विवरण को भरण–पोषण दावा प्रकरण के रजिस्टर, जो परिशिष्ट–1 में संधारित किया जायेगा, में दर्ज कराना; और

(ख) आवेदक या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को, नियम 5 में किसी बात के होते हुए भी, प्ररूप–"ख" में आवेदन की पावती देना। व्यक्तिगत सुपुर्दगी और अन्य मामलों में, डाक द्वारा भेजे जाने की दशा में, पावती में, अन्य बातों के साथ-साथ, आवेदन की रजिस्ट्रीकरण संख्या विनिर्दिष्ट करना;

(3) जहां अधिकरण भरणपोषण दावे का स्वप्रेरणा से, संज्ञान लेता है, वहां पीठासीन अधिकारी, तथ्यों को सुनिश्चित करने के उपरान्त अधिकरण के कर्मचारीवृन्द के माध्यम से यथासंभव यथार्थ रूप से प्ररूप "क" पूर्ण कराएगा और जहां तक संभव हो, संबंधित वरिष्ठ नागरिक, या माता–पिता, अथवा किसी भी ऐसे व्यक्ति या उसके द्वारा प्राधिकृत संगठन से उसे अधिप्रमाणित करवाएगा एवं अन्य बातों के साथ-साथ उसे उपनियम (2) के खण्ड (क) के अनुसार रजिस्ट्रीकृत करवाएगा।

आवेदन की प्रारम्भिक संवीक्षा

6–(1) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर अधिकरण अपना स्वयं समाधान करेगा कि–

(क) आवेदन पूर्ण है; और

(ख) प्रथम दृष्ट्या धारा 4 के निबन्धनों के अनुसार आवेदक का भरणपोषण करना विरोधी पक्षकार की बाध्यता है।

(2) यदि अधिकरण आवेदन में कोई कमी पाए तो वह आवेदक को ऐसी कमी को युक्तियुक्त समय के भीतर दूर करने के लिए निर्देशित कर सकता है।

(3) प्रत्येक आवेदन की सुनवाई युक्तियुक्त समय–सीमा के भीतर की जाएगी और उसका विनिश्चित किया जाएगा।

विरोधी पक्षकार को सूचना

7–(1) अधिकरण का नियम 5 के उपनियम (1) में उल्लिखित बिन्दुओं पर एक बार समाधान हो जाने पर वह प्ररूप "ग" में प्रत्येक उस व्यक्ति को जिसके विरूद्ध भरणपोषण के लिए आवेदन किया गया हो, आवेदन की प्रति एवं उसके अनुलग्नकों के साथ एक नोटिस निम्नलिखित रीति से जारी करेगा, जिसमें वह यह कारण बताने के लिए निर्देशित करेगा कि आवेदन पत्र को स्वीकृत क्यों न किया जाय।

(क) आवेदक के माध्यम से, यदि वह चाहें, दस्ती परिदान द्वारा अन्यथा आदेशिका तामिलकर्ता के माध्यम से;

(ख) रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा;

(2) नोटिस द्वारा विरोधी पक्षकार से नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जाने वाले दिनांक को वैयक्तिक रूप से उपस्थित होने तथा लिखित में यह कारण बताने की अपेक्षा की जायेगी कि आवेदन पत्र क्यों न स्वीकृत किया जाय और साथ ही सूचना दी जायेगी कि उसका उत्तर देने में विफल रहने की दशा में अधिकरण एकपक्षीय कार्यवाही करेगा।

(3) उपनियम (1)एवं (2) के अधीन सूचना जारी करने के साथ ही साथ आवेदक को भी उपनियम (2) में उल्लिखित दिनांक की जानकारी प्रपत्र–'घ' में निर्गत सूचना द्वारा दी जायेगी।

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश–पांच के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित, उपनियम (2) एवं (3) के अधीन सूचना की तामील करने के प्रयोजनार्थ लागू होंगे।

(5) अधिकरण को, शपथ पर साक्ष्य लेने, गवाहों को हाजिर करने और दस्तावेजों एवं भौतिक उपस्थापन के प्रकटीकरण को बाध्य करने के प्रयोजनार्थ अथवा ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए जैसा विहित किया जाय, सिविल न्यायायल की सभी शक्तियां होंगी और अधिकरण को धारा 195 और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अध्याय–छब्बीस के सभी प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय माना जायेगा।

विरोधी पक्षकार की गैर हाजरी की दशा में प्रक्रिया

8–सूचना के तामील होने पर भी, विरोधी पक्षकार सूचना के उत्तर में कारण बताने में विफल रहने की दशा में अधिकरण आवेदक से साक्ष्य लेकर और ऐसी अन्य जांच, जैसा कि वह ठीक समझे, करके एकपक्षीय कार्यवाही करेगा तथा आवेदन का निपटारा करने हेतु एक आदेश पारित करेगा।

दावे की स्वीकृति की दशा में प्रक्रिया

9–नियम 6 के अधीन निर्गत सूचना में नियत दिनांक को विरोधी पक्षकार के उपस्थित होने तथा आवेदक के भरण–पोषण करने हेतु अपने दायित्व को स्वीकार करने और दोनों पक्षों के आपसी समझौता होने की दशा में, अधिकरण तदनुसार आदेश पारित करेगा।

बच्चों या रिश्तेदारों को पक्षकार बनाने की प्रक्रिया

10–(1) विरोधी पक्षकार द्वारा, धारा 5 की उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन, आवेदक के किसी अन्य बच्चे या रिश्तेदार को पक्षकार बनाने के लिए आवेदन नियम 6 के उपनियम (2) के अधीन निर्गत सूचना में यथा विनिर्दिष्ट सुनवाई की पहली दिनांक को, दाखिल किया जायेगा :

परन्तु ऐसी प्रथम सुनवाई के पश्चात्, कोई ऐसा आवेदन ग्रहण नही किया जाएगा, जब तक कि विरोधी पक्षकार ऐसे आवेदन पत्र को पश्चातवर्ती प्रक्रम पर देर से देने का पर्याप्त कारण न बताए।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, अधिकरण का, पक्षकारों को सुनने के पश्चात् ऐसे आवेदन की उपयुक्तता के बारे में, यदि प्रथमदृष्टया समाधान हो जाता है, तो ऐसे अन्य बच्चे एवं रिश्तेदारों को कारण बताओ नोटिस जारी करेगा कि क्यो न उन्हें भी एक पक्ष के रूप में पक्षकार बनाया जाय और उन्हें सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उन्हें पक्षकार बनाए जाने या अन्यथा के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित करेगा।

(3) यदि अधिकरण उपनियम (2) के अधीन पक्षकार बनाने का आदेश पारित करता है, तो वह नियम 6 के अनुसार प्ररूप ''ग'' में ऐसे बनाये गये पक्षकार पक्ष को सूचना निर्गत करवायगा।

सुलह अधिकारी को निर्देश

11–(1) नियम 6 के अधीन निर्गत सूचना में नियत तारीख पर यदि विरोधी पक्षकार उपस्थित होता है एवं भरण–पोषण के दावे के विरुद्ध कारण दर्शाता है तो अधिकरण उनसे (दोनों पक्षों से) मत लेगा कि क्या वे अपना मामला सुलह अधिकारी के पास ले जाना चाहते हैं, तथा यदि वे इस निमित्त अपनी सहमति अभिव्यक्त करते हैं तो अधिकरण उनसे पूछेगा कि क्या वे अपना मामला नियम 3 के अधीन तैयार पैनल में सम्मिलित किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट किया जाना चाहेंगे अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पास, जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो।

(2) यदि दोनों पक्ष किसी व्यक्ति पर सहमत होते है, चाहे वह नियम 3 के अधीन पैनल में शामिल हो या न हो, तो अधिकरण उक्त दशा में ऐसे व्यक्ति को सुलह अधिकारी के रूप में नियुक्त करेगा एवं उन्हें प्ररूप ''ड.'' में पत्र के माध्यम से उसको मामला निर्दिष्ट करेगा एवं सुलह अधिकारी से निवेदन करेगा कि वह ऐसी सुलह के लिए निर्देश प्राप्ति के दिनांक से एक माह से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर समझौते का प्रयास करें जो दोनों पक्षकारों को स्वीकार्य हो।

(3) प्ररूप–''ड.'' में निर्देश के साथ आवेदन की प्रतियां तथा उसके विरोधी पक्षकार के उत्तर संलग्न होंगे।

सुलह अधिकारी के कर्तव्य

12–(1) नियम 10 के अधीन निर्देश प्राप्त होने पर, सुलह अधिकारी, आवश्यकतानुसार, दोनों पक्षों के साथ बैठक करेगा, तथा निर्देश प्राप्ति के दिनांक से एक माह की अवधि के भीतर ऐसे समझौते के लिए प्रयास करेगा जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो।

(2) यदि सुलह अधिकारी ऐसे समझौते में सफल होता है जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो, तो वह प्ररूप "च" में समझौते का ज्ञापन तैयार करेगा, उस पर दोनों पक्षों का हस्ताक्षर लेगा तथा उसे प्ररूप "छ" में प्रतिवेदन के साथ अग्रेषित करेगा तथा मामले के सभी अभिलेख, जो उसे अधिकरण से प्राप्त हुए हों, निर्देश प्राप्त होने से एक माह के भीतर, अधिकरण को वापस भेजेगा।

(3) यदि सुलह अधिकारी उपनियम (2) के अधीन निर्देश प्राप्ति के एक माह के भीतर समझौता कराने में असमर्थ रहता है, तो वह प्ररूप "ज" में समझौते के बारे में किये गये प्रयासों एवं दोनों पक्षों के बीच मतभेद के बिन्दुओं, जिससे समझौता नहीं हो सका, को दर्शाते हुए, अधिकरण से प्राप्त कागजातों को रिपोर्ट के साथ, वापस भेज देगा।

(4) पंजी का संधारण–सुलह अधिकारी अनुसूची–दो के अनुसार स्वैच्छिक संगठनों की विस्तृत सूची का संधारण करेगा, जिसमें वृद्ध लोगों के लिए सुरक्षा एवं सेवा करने हेतु व्यवस्था होगी। सुलह अधिकारी व्यक्तियों/व्यक्तियों के समूह/स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं/दाता एजेंसियों/अन्य द्वारा संचालित वृद्धाश्रमों का निरीक्षण/अनुश्रवण एवं डाटा संग्रहण के लिए जिम्मेदार होगा।

सुलह अधिकारी के समक्ष समझौता होने की दशा में अधिकरण द्वारा कार्यवाही

13–(1) अधिकरण, नियम 11 के उपनियम (2) के अधीन समझौते के ज्ञापन के साथ सुलह अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने की दशा में, दोनों पक्षों को अपने समक्ष, सूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक पर उपस्थित होने हेतु और समझौते की पुष्टि हेतु सू [illegible] देगा।

(2) यथा उपर्युक्त सूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक को अधिकरण के समक्ष पक्षकारों के उपस्थित होने तथा सुलह अधिकारी के समक्ष समझौते की पुष्टि कर लेने की दशा में, अधिकरण ऐसे समझौते में हुए करार के अनुसार अंतिम आदेश पारित करेगा।

अन्य मामलों में अधिकरण द्वारा कार्यवाही

14–(1) यदि–

(एक) आवेदक/आवेदकों तथा विरोधी पक्षकार नियम 10 के अनुसार अपने विवाद के संदर्भ में सुलह अधिकारी को सौंपने हेतु सहमत नहीं होते हैं, या

(दो) नियम 10 के अधीन नियुक्त सुलह अधिकारी, दोनों पक्षों द्वारा स्वीकार्य समझौता किये जाने में असमर्थता व्यक्त करते हुए नियम 11 के उपनियम (3) के अधीन अपनी रिपोर्ट भेजता है, या

(तीन) सुलह अधिकारी से एक माह की नियत समय–सीमा के भीतर कोई रिपोर्ट प्राप्त नही होती है, या

(चार) नियम 12 के उपनियम (1) के अधीन निर्गत सूचना के उत्तर में एक या दोनों पक्षकार सुलह अधिकारी के समक्ष किये गये समझौते की पुष्टि करने से मना करते हैं;

तो अधिकरण दोनों पक्षों को क्रमशः अपने दावों के समर्थन में सा[illegible] प्रस्तुत करने का अवसर देगा तथा धारा 8 की उपधारा (1) में यथा उपबंधित संक्षिप्त जांच के बाद, जैसा वह उचित समझे, आदेश पारित करेगा।

(2) नियम 7, नियम 8 या उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन पारित कोई आदेश, सकारण होगा जिसमें अधिकरण द्वारा यथा अभिनिश्चित मामले के तथ्य तथा आदेश के लिए कारण वर्णित होगें।

(3) उपनियम (1) के अधीन आवेदक को भरण–पोषण के लिए भुगतान हेतु विरोधी पक्षकार को निर्देशित करते हुए आदेश पारित करते समय, अधिकरण निम्नलिखित तथ्यों ध्यान में रखेगा–

(क) आवेदक द्वारा अपेक्षित रकम, जो उसकी मूलभूत आवश्यकताओं, विशेषतया भोजन, कपड़ा, आवास तथा स्वास्थ्य सुरक्षा की पूर्ति करने के लिए आवश्यक हो;

(ख) विरोधी पक्षकार की आय; और

(ग) आवेदक की सम्पत्ति, जो विरोधी पक्षकार की विरासत और/या उसके कब्जे में हों, का मूल्य तथा सम्पत्ति से वास्तविक और संभावित आय, यदि कोई हो।

(4) प्रत्येक पारित आदेश, चाहे वह अंतिम हो या अंतरिम, की एक–एक प्रति आवेदक/आवेदकों एवं विरोधी पक्षकार या उनके प्रतिनिधियों को व्यक्तिगत रूप से प्रदान की जायेगी या प्रोसेस सर्वर के माध्यम से या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जायेगी।

(5) जहां भरणपोषण का आदेश विरोधी पक्षकार के विरुद्ध दिया जाय, वहां किसी व्यक्ति की मृत्यु से अधिकरण द्वारा नियत भरणपोषण का संदाय जारी रखने के अन्य के दायित्वों पर प्रभाव नही पड़ेगा।

(6) भरणपोषण के लिए कोई ऐसा भत्ता और कार्यवाही के लिए खर्चे आदेश के दिनांक से या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है तो अधिकरण द्वारा आदेश पारित होते ही भरणपोषण या कार्यवाही के खर्चे के लिए आवेदन दाखिल करने के दिनांक से संदेय होंगे।

(7) यदि विरोधी पक्षकार जिसे ऐसा आदेश दिया जाता है, पर्याप्त हेतुक के बिना आदेश का पालन करने में असफल रहता है तो अधिकरण आदेश के प्रत्येक भंग के लिए, जुर्माने का उद्ग्रहण करने के लिए उपबंधित रीति से देय रकम के उद्ग्रहण का वारंट जारी कर सकेगा और ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति प्रत्येक मास के सम्पूर्ण भरण–पोषण या उसके किसी भाग के लिए और कार्यवाही के खर्चे के लिए ऐसे वारंट के निष्पादन के पश्चात् असंदत्त शेष भाग के लिए कारावास से जो एक मास तक का हो सकेगा या संदाय करने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, दण्डादिष्ट कर सकेगा :

परन्तु यह कि अधिनियम की धारा–5 के अधीन देय किसी रकम की वसूली के लिए कोई वारंट तब तक नही जारी किया जायेगा, जब तक, उस दिनांक से, जब से **वह रकम** देय हो जाती है, तीन महीने की अवधि के भीतर ऐसे रकम के उद्ग्रहण के लिए अधिकरण को आवेदन प्रस्तुत नही कर दिया जाता है।

(8) भरणपोषण के देय रकम पर अधिकरण साधारण ब्याज दर प्रदत्त किये जाने का आदेश पारित कर सकती है, परन्तु विहित दर राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को सावधि जमा पर दिये जाने वाले ब्याज से कम नही होगा।

अधिकतम भरण पोषण भत्ता

15–अधिकतम भरण–पोषण भत्ता, जो अधिकरण विरोधी पक्षकार को भुगतान करने का आदेश, देगा, जो अधिकतम 10 हजार रूपये प्रतिमाह के अध्यधीन रहते हुए प्रतिमाह होगा, ऐसी रीति से नियत किया जाएगा कि वह विरोधी पक्षकार की सभी स्रोतों से मासिक आय से अधिक न हो, उसमें उसके परिवार के सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जायेगा तथा आवेदक या आवेदकों को भी उसी परिवार के सदस्य के रुप में गणना की जायेगी।

अध्याय–तीन

अपील अधिकरण का गठन और संबंधित प्रक्रिया

अपील अधिकरण की स्थापना और प्रक्रिया

16–सरकार, सरकारी गजट में, अधिसूचना द्वारा, अधिनियम की धारा 15 की उप धारा (1) के अधीन अधिकरण के आदेश के विरुद्ध सुनवाई करने के लिए प्रत्येक जिले के लिए एक अपील अधिकरण का गठन जैसा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया गया हो, करेगी।

अपील का प्ररूप

17–धारा 16 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपील, अपील अधिकरण के समक्ष प्ररूप "झ" में, दाखिल की जायेगी, एवं उसके साथ अधिकरण के अपेक्षित आदेश की एक प्रति संलग्न होगी।

अपील का रजिस्ट्रीकरण तथा उसकी अभिस्वीकृति

18–कोई अपील की प्राप्त होने पर अपील अधिकरण अपील रजिस्ट्रीकृत करने के प्रयोजनार्थ संधारित रजिस्टर में ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकृत करेगा जैसा राज्य सरकार निदेशित करें और ऐसी अपील रजिस्ट्रीकृत करने के पश्चात् प्ररूप "ञ" में अपील क्रमांक तथा अगली सुनवाई की तारीख विनिर्दिष्ट करते हुए अपीलार्थी को अभिस्वीकृति देगा।

प्रत्यर्थी को सुनवाई का नोटिस

19–(1) कोई अपील के प्राप्त होने पर, अपील अधिकरण मामले को रजिस्ट्रीकृत करने एवं अपील क्रमांक देने के पश्चात् प्रत्यर्थी को अपनी मुहर एवं हस्ताक्षर के अधीन प्ररूप "ट" में नोटिस तामील करवाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन नोटिस, सम्यक् अभिस्वीकृति के साथ रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से या प्रोसेस सर्वर के माध्यम से, निर्गत की जायेगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन निर्गत नोटिस, तामिल करने प्रयोजनार्थ सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 5 के उपबंध, यथा आवश्यक परिवर्तनों सहित, लागू होंगे।

अध्याय–चार

धारा 19 के अधीन स्थापित वृद्धाश्रमों के प्रबंधन के लिए योजना

निर्धन वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धाश्रमों के प्रबंधन की योजना

20–(1) अधिनियम की धारा 19 के अधीन स्थापित किए गये वृद्धाश्रम निम्नलिखित मानदंडों तथा मानकों के अनुसार चलाये जायेंगे :–

(क) आश्रम में भौतिक सुविधाएं होंगी और अनुसूची तीन में यथा अधिकथित प्रचालन सम्बन्धी मानकों के अनुसार चलाया जाएगा।

(ख) आश्रम के अंतःवासियों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा:–

(क) जैसा कि अधिनियम की धारा 19 में यथा परिभाषित है, आश्रम में रहने के इच्छुक निर्धन वरिष्ठ नागरिकों से, समुचित अंतरालों पर किन्तु प्रत्येक वर्ष में कम से कम एक बार, आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे,

(ख) किसी भी अवसर पर पात्र आवेदकों की संख्या, आश्रम में प्रवेश हेतु उपलब्ध स्थानों की संख्या से अधिक होने की दशा में, अंतःवासियों का चयन निम्नलिखित रीति से किया जाएगा:–

(एक) अधिक निर्धन तथा जरुरतमंद को कम निर्धन आवेदकों पर प्राथमिकता दी जाएगी,

(दो) अन्य बातें समान होने पर, अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को उन वरिष्ठ नागरिकों पर जो कि कम उम्र के हों, प्राथमिकता दी जाएगी,

(तीन) अन्य बातें समान होने पर, महिला आवेदकों को पुरूष आवेदकों के मुकाबले प्राथमिकता दी जायेगी।

निरक्षर और या अत्यधिक वरिष्ठ नागरिकों को भी बिना किसी औपचारिक आवेदन के, प्रवेश दिया जा सकेगा, यदि सक्षम प्राधिकारी का समाधान हो जाय कि ऐसा वरिष्ठ नागरिक औपचारिक आवेदन देने की स्थिति में नहीं है किन्तु उसे आश्रम की अत्यन्त आवश्यकता है।

(ग) प्रवेश के लिए आवेदनों या मामलों पर विचार करते समय, धर्म या जाति के आधार पर कोई भेदभाव नही किया जायेगा,

(घ) आश्रम, पुरूष तथा महिला अंतःवासियों के लिए ठहरने की अलग व्यवस्था करेगा, जब तक कि पुरूष एवं महिला अंतःवासी रक्त संबंधी या विवाहित युगल न हो,

(ङ) प्रबन्ध समिति द्वारा वृद्धाश्रम के दैनिक कार्यकलापों का प्रबंधन इस प्रकार किया जाएगा कि समिति में अन्तःवासियों का भी समुचित प्रतिनिधित्व हो।

(2) राज्य सरकार उपनियम (1) और अनुसूची में अधिकथित मानदंड तथा मानकों के अनुसार, वृद्धाश्रम में प्रवेश तथा प्रबंधन के लिए विस्तृत दिशा निर्देश/आदेश, समय–समय पर निर्गत कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, वृद्धाश्रमों के दैनिक क्रियाकलाप के प्रबन्धन हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर एक कार्यान्वयन समिति का निर्माण, कर सकेगी।

(4) अंतःवासियों की सुरक्षा और कल्याण का ध्यान रखते हुए आगन्तुकों को विहित समय के भीतर आश्रम–प्रबन्ध की पूर्व अनुज्ञा से, वृद्धाश्रम में अनुमति दी जाएगी।

(5) अधिनियम की धारा 9 उपधारा (2) तथा अन्य सुसंगत धाराओं के अधीन राज्य सरकार/विभाग वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक समेकित योजना और सुसंगत मार्गदर्शिका आरंभ और प्रकाशित करेगी/करेगा।

अध्याय—पांच

जिला मजिस्ट्रेट के कर्तव्य तथा शक्तियाँ

जिला मजिस्ट के कर्तव्य तथा शक्तियाँ

21—(1) जिला मजिस्ट्रेट, उपनियम (2) एवं (3) में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि उसके जिले में अधिनियम के प्रावधानों का समुचित रूप से क्रियान्वयन हो रहा है।

(2) जिला मजिस्ट्रेट का निम्नलिखित कर्तव्य होगा:—

(एक) यह सुनिश्चित करना कि जिले के वरिष्ठ नागरिकों का जीवन तथा उनकी सम्पत्ति सुरक्षित रहे और वे सुरक्षा तथा सम्मान से जीवन यापन करने में समर्थ हो सकें;

(दो) भरण—पोषण के लिए आवेदनों का यथासमय और निष्पक्ष निपटारा तथा अधिकरण के आदेशों का निष्पादन सुनिश्चित करने की दृष्टि से जिले के भरण—पोषण अधिकरण तथा भरण—पोषण अधिकारियों के कार्य का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना;

(तीन) जिले में वृद्धाश्रमों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण तथा अनुश्रवण करना, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे इन नियमों में अधिकथित मानकों तथा राज्य सरकार के किसी अन्य दिशा निर्देशों और आदेशों के अनुरूप है;

(चार) अधिनियम के उपबन्धों और केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के कार्यक्रमों का नियमित तथा व्यापक प्रचार—प्रसार सुनिश्चित करना;

(पांच) पंचायत, नगरपालिका, नेहरू युवा केन्द्र, शैक्षणिक संस्थाएं और विशेषतः उनकी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई, संगठन, विशेषज्ञ कार्यकर्ता आदि जो जिले में कार्य कर रहे हो, को प्रोत्साहित करना तथा उनके साथ समन्वय स्थापित करना ताकि उनके संसाधनों तथा प्रयासों को जिले के वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए प्रभावी तरीके से संयुक्त रूप से प्रयुक्त किया जा सके;

(छः) प्राकृतिक आपदाएं तथा अन्य आकस्मिकताओं की दशा में, वरिष्ठ नागरिकों का समय पर सहायता तथा राहत का उपबन्ध सुनिश्चित करना;

(सात) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभिन्न विभागों तथा स्थानीय निकायों के अधिकारियों की नियतकालिक संवेदनशीलता ऐसे नागरिकों की आवश्यकता और उनके प्रति अधिकारियों के कर्तव्य सुनिश्चित करना;

(आठ) सिवाय ऐसे नगरों में जहां मण्डल पुलिस महानिरीक्षक हो जिले में वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित मामेलों के अन्वेषण तथा विचारण की प्रगति की समीक्षा करना;

(नौ) नागरिकों के सामान्य सम्पर्क में आने वाले कार्यालयों जैसे पंचायत, खण्ड विकास कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, जिला समाज कल्याण कार्यालय, कलेक्ट्रेट, पुलिस स्टेशन आदि में भरणपोषण के लिए विहित आवेदन प्ररूपों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

(दस) प्रारम्भ में जिला मुख्यालयों पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए समर्पित सहायता केन्द्रों (हेल्प लाइन्स) की स्थापना को प्रोत्साहित करना; और

(ग्यारह) ऐसे अन्य कृत्यों का अनुपालन करना जो राज्य सरकार, आदेश द्वारा, इस निमित्त, समय—समय पर, जिला मजिस्ट्रेट को समनुदेशित करें।

(3) उपनियम (2) में उल्लिखित कर्तव्यों का पालन करने की दृष्टि से, जिला मजिस्ट्रेट ऐसे निदेश, जो अधिनियम, इन नियमों में तथा सरकार के सामान्य मार्गदर्शक सिद्धान्तों से असंगत न हो, जैसा कि सम्बन्धित राज्य सरकार के लिए आवश्यक हो, जिले में कार्य कर रही संबंधित सरकारी या कानूनी एजेंसी या निकाय तथा विशेषतः निम्नलिखित को निर्गत करने हेतु सक्षम होगा जैसा आवश्यक हो;—

(क) राज्य सरकार के पुलिस, स्वास्थ्य तथा जनसंपर्क विभाग के एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित विभाग के अधिकारी;

(ख) भरण—पोषण अधिकरण तथा सुलह अधिकारी;

(ग) पंचायतें तथा नगरपालिकाएं; और

(घ) शैक्षणिक संस्थाएं।

अध्याय–छः

वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं सम्पत्ति का संरक्षण

वरिष्ठ नागरिकों को जीवन एवं सम्पत्ति के संरक्षण हेतु कार्य योजना

22–(1) जिला पुलिस अधीक्षक और जिन नगरों में मण्डल पुलिस महानिरीक्षक हो वहां ऐसे मण्डल पुलिस महानिरीक्षक वरिष्ठ नागरिकों के जीवन तथा संपत्ति के संरक्षण के लिए, ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अध्यधीन रहते हुए ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाएगा, जैसा कि सरकार, समय–समय पर, निर्गत करें।

(2) उपनियम (1) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिनाः–

(एक) प्रत्येक पुलिस स्टेशन(थाना) अपने क्षेत्राधिकार के भीतर रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों की अद्यतन सूची संधारित करेगा विशेषकर जो अकेले रहते हों (अर्थात अपने परिवार के किसी सदस्य के बिना, जो वरिष्ठ नागरिक नही है);

(दो) पुलिस थाने के प्रतिनिधि, जहां तक संभव हो, सामाजिक कार्यकर्ता या स्वयं सेवक के साथ वरिष्ठ नागरिकों के घर नियमित अंतराल पर कम से कम माह में एक बार जाएंगे तथा इसके अतिरिक्त उनसे सहायता का अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्र, उनके पास जायेंगे;

(तीन) वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों/ समस्याओं का स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित समाधान किया जाएगा;

(चार) प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए एक या उससे अधिक स्वयंसेवी समिति (समितियां) बनायी जायेंगी जो एक ओर विशेषकर अकेले रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों एवं दूसरी ओर पुलिस तथा प्रशासन के बीच नियमित संपर्क सुनिश्चित करेंगी;

(पांच) यथास्थिति, मण्डल पुलिस महानिरीक्षक अथवा जिला पुलिस अधीक्षक, प्रचार माध्यमों से और पुलिस स्टेशनो के द्वारा नियमित अंतराल पर, वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा के लिए उठाए जाने वाले कदमों को व्यापक रूप से प्रचारित करवाएगा;

(छः) प्रत्येक पुलिस स्टेशन, वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध किये गये अपराधों से संबंधित समस्त महत्वपूर्ण विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाला एक पृथक रजिस्टर अनुलग्नक– चार में संधारित करेगा;

(सात) खण्ड (छः) में निर्दिष्ट रजिस्टर सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रखा जाएगा और पुलिस स्टेशन का निरीक्षण का निरीक्षण करनेवाला प्रत्येक अधिकारी, रजिस्टर में यथा दर्ज स्थिति का निरन्तर पुनर्विलोकन करेगा;

(आठ) पुलिस स्टेशन, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक ऐसे अपराधों की मासिक रिपोर्ट जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करेगा;

(नौ) वरिष्ठ नागरिकों को, अपनी सुरक्षा के हित में, क्या करना है और क्या नही, इसकी सूचना व्यापक रूप से प्रचारित की जाएगी;

(दस) वरिष्ठ नागरिकों के लिए कार्य कर रहे घरेलू नौकरों और अन्य लोगों के पूर्ववृत्त, ऐसे नागरिक के अनुरोध पर, तत्परता से सत्यापित किए जाएंगे;

(ग्यारह) वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा के लिए उनके पड़ोस में रहने वाले नागरिकों, स्थानीय, कल्याण संघो, युवा स्वयंसेवियों, गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ मिलकर सामुदायिक पुलिसिंग (कम्युनिटी पुलिसिंग) का जिम्मा लिया जाएगा;

(बारह) जिला पुलिस अधीक्षक, पिछले माह के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध की स्थिति के बारे में रिपोर्ट, अनुलग्नक– पांच में प्रत्येक माह की बीस तारीख तक, पुलिस महानिदेशक तथा जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करेगा, जिसमें माह के दौरान रजिस्ट्रीकृत अपराधों के अन्वेषण और अभियोजन की प्रगति और निवारक उपाय सम्मिलित होंगे;

(तेरह) जिला मजिस्ट्रेट नियम 24 के अधीन गठित जिलास्तरीय समिति के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत करवाएगा;

(चौदह) पुलिस महानिदेशक, तीन माह में एक बार, खण्ड (बारह) के अधीन प्रस्तुत की गयी रिपोर्ट संकलित करवाएगा और उन्हें प्रत्येक तीन माह में, साथ ही साथ, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा, जिसे अन्य बातों के साथ, नियम 23 के अधीन गठित वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद् के समक्ष रखेगा।

अध्याय–सात

वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद् तथा जिला समिति

वरिष्ठ नागरिकों की राज्य परिषद

23–(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, वरिष्ठ नागरिकों की एक राज्य परिषद् गठित करेगी जो राज्य सरकार को, अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन पर, तथा वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में ऐसे हीं अन्य कृत्यों का निर्वहन करने की सलाह देगी जैसा वह उचित समझे।

(2) राज्य परिषद निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्–

1.	मंत्री, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो)	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो)	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो)	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो)	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो)	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि (जो उप सचिव स्तर से नीचे का न हो)	सदस्य
9.	निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग	सदस्य
10.	पुलिस महानिदेशक द्वारा नाम निर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	सदस्य
11.	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट तीन सामाजिक कार्यकर्ता (वृद्धजनों के कल्याण और अधिकारों के लिए कार्यरत)	सदस्य
12.	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पेंशनर संगम के दो प्रतिनिधि	सदस्य
13.	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट वृद्धजनों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत गैर सरकारी संगठनों के दो प्रतिनिधि	सदस्य
14.	निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य-सचिव

(3) राज्य परिषद प्रत्येक छः माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न राज्य परिषद् के सदस्यों का कार्यकाल, परिषद की प्रक्रिया के नियम तथा अन्य आनुषंगिक विषय ऐसे होंगे जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(5) राज्य सरकार अधिनियम और वृद्ध व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्वयन पर बाह्य शोध तथा सामाजिक अनुसंधान करेगी।

वरिष्ठ नागरिकों की जिला समिति

24–(1) राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्रत्येक जिला के लिए जिलास्तर पर, अधिनियम के प्रभावी एवं समन्वित क्रियान्वयन पर सलाह देने तथा वरिष्ठ नागरिकों के संबंध में अन्य कृत्यों का पालन करने के लिए जिलास्तर पर वरिष्ठ नागरिकों की एक जिला समिति स्थापित करेगी।

(2) वरिष्ठ नागरिकों के लिए जिला समिति निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात–

1.	जिला मजिस्ट्रेट	अध्यक्ष
2.	पुलिस अधीक्षक	सदस्य
3.	असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
4.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट दो सामाजिक कार्यकर्ता (एक वृद्धाश्रम से)	सदस्य
5.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट पेंशनर संगम का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6.	जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट स्वयंसेवी संगठनो के दो प्रतिनिधि	सदस्य
7.	सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	सदस्य–सचिव

(3) जिला समिति प्रत्येक तीन माह में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न, जिला समिति के सदस्यों का कार्यकाल, समिति की प्रक्रिया के नियम तथा अन्य आनुषंगिक विषय ऐसे होंगे जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

(5) जिला समिति, अधिनियम, के क्रियान्वयन से संबंधित निम्नलिखित कार्यकलापों का पुनर्विलोकन करेगी, जिसमें सम्मिलित होंगे;

(क) वृद्धाश्रमों के प्रशासन और प्रबंधन का पुनर्विलोकन;

(ख) अधिनियम के अधीन स्थापित संस्थाओं का त्रैमासिक पर्यवेक्षण करना तथा उसकी रिपोर्ट निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग को भेजना;

(ग) वृद्धाश्रमों के उन्नयन तथा विकास के लिए समुचित कार्यक्रम हेतु कार्यक्रम का प्रस्ताव करना;

(घ) वरिष्ठ नागरिकों के पुर्नवास से संबंधित कार्यक्रमों का समर्थन करना;

(ङ) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न एजेंसियों के बीच सहलग्नता सुनिश्चित करना;

(च) अधिनियम के अधीन जिले में स्थापित किये गये अधिकरणों के कृत्यों का पुनर्विलोकन करना;

(छ) संस्थागत तथा गैर-संस्थागत सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के लिए आवश्यक सुझाव देना।

समिति अपना पर्यवेक्षण पूरा करने के पश्चात्, अपने निष्कर्षों पर एक रिपोर्ट तैयार करेगी तथा उसे सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सचिव, समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज देगी।

अनुसूची

[नियम (18) देखें]

अधिनियम की धारा 19 के अधीन स्थापित निर्धन वरिष्ठ नागरिकों के लिए वृद्धाश्रम हेतु भौतिक सुविधाओं और परिचालन मानक के मानदण्ड

(I) भौतिक सुविधाएं

(1) भूमि:-

वृद्धाश्रम के लिए शहरी निकाय/राज्य सरकार द्वारा यथाविहित सतह क्षेत्र अनुपात (FAR-Floor Area Ratio) के अनुरूप पर्याप्त जमीन होनी चाहिए। अर्द्धशहरी/ग्रामीण क्षेत्र की दशा में राज्य सरकार अपेक्षित क्षमता वाले वृद्धाश्रम की स्थापना हेतु पर्याप्त जमीन उपलब्ध कराएगी जो आवासन, चिकित्सा, भोजन, शौचालय सुविधाएं, मनोरंजन, बागवानी और आगे के विस्तार आदि के लिए पर्याप्त हो।

(2) आवासन क्षेत्र:-

जहां सम्भव हो, वृद्धाश्रम में निम्नलिखित सन्नियमों के अनुसार प्रति अंतःवासी न्यूनतम क्षेत्र होगा:-

(एक) प्रति अंतःवासी शयनकक्ष/शयनशाला का क्षेत्र-7.5 वर्ग मीटर।

(दो) उपर्युक्त (एक) सहित एवं आनुषंगिक क्षेत्र जैसे रसोईघर, भोजनालय, मनोरंजन, कक्ष, चिकित्सकीय कक्ष आदि किन्तु बरामदा कारिडोर आदि छोड़कर प्रति अंतःवासी आवासन क्षेत्र या फर्श क्षेत्र-12 वर्ग मीटर।

(3) सुविधाएं–

(1) वृद्धाश्रमों में निम्नलिखित सुविधाएं होगी:–

(एक) पृथक रूप से पुरूषों एवं महिलाओं के लिए कक्ष/शयनशाला मिलाकर आवासीय क्षेत्र;

(दो) पीने और आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए पर्याप्त पानी;

(तीन) अंतःवासियों के लिए, विद्युत, पंखा और गर्म करने वाली व्यवस्था (यथावश्यक),

(iv) रसोईघर सह–भंडारगृह और कार्यालय,

(v) भोजनालय,

(vi) निःशक्त व्यक्तियों के लिए समुचित शौचालयों सहित, पर्याप्त संख्या में शौचालय और स्नानागार;

(vii) मनोरंजन की सुविधाएं, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं पुस्तकों का पर्याप्त संग्रहण और

(viii) प्राथमिक उपचार, रोगी कक्ष और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं।

(2) वृद्धाश्रम को रैम्प और हैडरेल और जहां कहीं आवश्यक हो, लिफ्ट आदि की व्यवस्था के साथ बाधामुक्त होना चाहिए।

परिचालन के मानक–

(1) राज्य सरकार द्वारा नियत किये जाने वाले मापदंड के अनुसार पोषक और स्वास्थ्यवर्धक आहार की आपूर्ति करना।

(2) अंतःवासी के लिए पर्याप्त वस्त्र और कपड़े (शीतऋतु सहित)

(3) स्वच्छता, स्वास्थ्य–विज्ञान और पहरा–चौकसी वार्ड/सुरक्षा के लिए पर्याप्त व्यवस्था।

(4) आपातकालीन स्वास्थ्य देखभाल हेतु निकटतम सरकारी अस्पताल से और सुरक्षा अपेक्षाओं के लिए निकटतम पुलिस स्टेशन से व्यवस्थाएं।

अध्याय–आठ

विविध

अधिकारी लोक सेवक होंगे

25–इस नियमावली के अधीन कृत्यों को प्रयोग करने के लिए नियुक्त किये गये प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारीगण को, भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन

26–किसी सिविल न्यायालय को ऐसे किसी मामले में अधिकारिता नही होगी, जिस पर इस नियमावली का कोई उपबंध लागू होता है और किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऐसी किसी बात की बाबत जो इस नियमावली द्वारा या उसके अधीन की गयी है या किये जाने के लिए आशयित है, कोई व्यादेश नही दिया जायेगा।

सद्भावपूर्वक की गयी कार्यवाही के लिये संरक्षण

27–तद्धीन बनाये गये अधिनियम नियमों या आदेशों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या की जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य अधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

28–यदि इस नियमावली के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा, जो इस नियमावली के उपबंधों से असंगत न हो ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

प्रपत्र–'क'

[नियम 5(1) देखें]

माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 के अधीन भरण–पोषण के लिए आवेदन।

अधिकरण के कार्यालय में उपयोग के लिए

दाखिल करने की दिनांक..

या

डाक द्वारा प्राप्ति की दिनांक..

रजिस्ट्रीकरण संख्या..

हस्ताक्षर

पीठासीन अधिकारी

माता–पिता के भरण–पोषण और कल्याण अधिकरण में

शाखाः.....................................

राज्यः ....

क ...., ख .... आवेदक

एवं

ग... घ .... प्रत्यर्थी के माध्यम से

आवेदन के ब्यौरेः–

1. विशिष्टियां यदि आवेदक हो :

(एक) आवेदक का नामः

(दो) पिता/पति का नामः ....

(तीन) पताः..

(चार) समस्त सूचना एवं पत्र व्यवहार के लिए पताः ....

....

2. प्रत्यर्थी की विशिष्टियांः ....

(एक) प्रत्यर्थी का नाम :..

(दो) प्रत्यर्थी का पताः ....

(तीन) समस्त सूचना एवं पत्र व्यवहार के लिए पताः ....

3. अधिकरण का क्षेत्राधिकारः– आवेदक घोषणा करता है कि मामले की विषयवस्तु, जिसके विरुद्ध वह प्रतितोषण चाहता है, वह अधिकरण के क्षेत्राधिकार के भीतर है।

4. मामले के तथ्यः– मामले के तथ्य नीचे दिये गये हैं।

5. चाहा गया/चाहे गये अनुतोषः– आवेदक ऊपर पैरा–4 में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर नीचे यथा उल्लिखित अनुतोष/अनुतोषों के लिए याचना करता है।

6. अन्तरण आदेश, यदि उसके लिए प्रार्थना की गई हैः–

आवेदन के लम्बित रहने के दौरान आवेदक नीचे निम्नलिखित अंतरिम आदेश के जारी के लिए प्रार्थना करता हैः–

(अंतरिम आदेश हेतु प्रार्थना के कारण और उसकी रूपरेखा दीजिए)

7. विकल्पों के ब्यौरेः– आवेदक घोषणा करता है कि उसने समस्त उपलब्ध विकल्पों का उपयोग कर लिया है/कर ली है।

8. मामला किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लम्बित नही हैः– आवेदक घोषणा करता है कि मामला, जिसके संबंध में यह आवेदन किया गया है, किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकरण/प्राधिकारी के समक्ष लम्बित नही है या किसी न्यायालय या अन्य अधिकारी द्वारा खारिज नही किया गया है।

9. अनुक्रमणिका के ब्यौरेः– उन दस्तावेजों के ब्यौरे, जिन पर अनुतोष की याचना आधारित है, अन्तर्विष्ट अनुक्रमणिका की दूसरी प्रति संलग्न है।

सत्यापन

मैं, ... (आवेदक का नाम) पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति .... आयु .... निवासी .... एतद्द्वारा सत्यापित करता हूँ कि पैरा 1 से 9 तक की अन्तर्वस्तु मेरे व्यक्तिगत ज्ञान और विश्वास से सत्य है और उनमें कोई भी सारवान तथ्य छिपाया नही गया है।

स्थानः....................

दिनांकः..................

आवेदक के हस्ताक्षर।

सेवा में,

पीठासीन अधिकारी,

....

....

पावती पर्ची

माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के अधिकरण में दाखिल आवेदन की पावती एतद्द्वारा

श्री/श्रीमती ....

पता :..

द्वारा स्वीकार की जाती है।

पीठासीन अधिकारी के लिए

प्ररूप–'ख'

[नियम 5(2)6 देखें]

....अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत

दाखिल किये गये आवेदन के लिए पृष्ठांकन

....से .... (ब्यौरे) के भरण–पोषण के लिए एक आवेदन प्राप्त किया। आवेदन को प्रकरण संख्या.............................. दिनांक .... के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है। प्रकरण संख्या ....दिनांक....................को सुनवाई हेतु नियत किया गया है।

स्थानः...............................

दिनांकः...............................

हस्ताक्षर

प्ररूप–'ग'

नियम 7(2) देखें

प्रत्यर्थी को नोटिस/समन हेतु प्ररूप

[(धारा 6(1) देखें)]

....अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत

पताः ....

प्रकरण संख्या 2010

आवेदक

बनाम

प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण

सेवा में,

....

....

यह सूचित किया जाता है कि आवेदक ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 4 के अधीन आपसे भरण–पोषण के रूप में रू0 .... प्रतिमाह के भुगतान हेतु दावा करते हुए एक आवेदन दाखिल किया है।

सुनवाई दिनांक .... को .... बजे अधिकरण के ऊपर उल्लिखित कार्यालय वर्णित पते पर नियत की गयी है। आपसे उक्त दिनांक एवं समय पर अपनी सभी आपत्तियों, विवरणों और दस्तावेजों जिन पर आप भरोसा करते है, के साथ व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने की अपेक्षा की जाती है। यदि आप उपस्थित होने में असफल रहते हैं, तो अधिकरण एक पक्षीय आदेश पारित कर देगा।

दिनांक .... को मेरे हस्ताक्षर और मुद्रा से जारी किया गया।

रजिस्ट्रार

(अधिकरण की मुहर)

प्ररूप–'घ'

[नियम 7(3) देखें)]

....अधिकरण के समक्ष उपस्थिति

आवेदन के लिए पृष्ठांकन

....से .... (ब्यौरे) के भरण–पोषण के लिए एक आवेदन प्राप्त किया। आवेदन को प्रकरण संख्या .... दिनांक .... के रूप में रजिस्ट्रीकृत किया गया है। प्रकरण की सुनवाई के लिए दिनांक .... नियत किया गया है।

स्थानः...............................

दिनांकः..............................

हस्ताक्षर

प्ररुप–'ड.'

[नियम 11(2) और 11(3) देखें]

सुलह अधिकारी को निर्देश के लिए प्ररुप

[नियम 6(2) परन्तुक देंखे]

....अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत

....2009

जिला .... प्रकरण संख्या ....

आवेदक :

प्रत्यर्थी :

आवेदक द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध भरण–पोषण हेतु उपरोक्त एतस्मिन पश्चात् विनिर्दिष्ट सुलह अधिकारी को सुलह के लिए निर्दिष्ट किया जाता है।

सुलह अधिकारी के लिए अपने विनिश्चिय/समझौता शर्ते .... को या इससे पूर्व इस अधिकरण को प्रस्तुत करेगा।

दिन ..../दिनांक .... 20–.. को अधिकरण के हस्ताक्षर और मुद्रा से जारी किया गया।

हस्ताक्षर

(अधिकरण की मुहर)

सेवा में,

सुलह अधिकारी,

....

....

....

प्ररूप–'च'

[(नियम 12 (2) देखें)]

जिला .... प्रकरण संख्या 2010

आवेदक ....

आवेदक का कथन ....

प्रत्यर्थी का कथन ....

समझौते का विवरण ....

आज दिनांक .... को दोनों पक्षकार उपर्युक्त उल्लिखित आपसी समझौते के लिए उपस्थित एवं सहमत हैं।

आवेदक का हस्ताक्षर ....

प्रत्यर्थी का हस्ताक्षर ....

हस्ताक्षर
सुलह अधिकारी

प्ररूप–'छ'

[(नियम 12 (2) समझौता प्रतिवेदन देखें)]

जिला .... प्रकरण संख्या 2010

आवेदक ....

प्रत्यर्थी ....

समझौते का दिनांक अधिकरण आदेश संख्या ....

समझौते की शर्ते ....

आवेदक तथा प्रत्यर्थी की सहमति

स्थान ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर
सुलह अधिकरण

प्ररूप–'ज'

[(नियम 12 (3) देखें)]

आवेदक ....

प्रत्यर्थी ....

समझौता आदेश संख्या ....

समझौते के लिए प्रस्ताव ....

आवेदक का तर्क ....

प्रत्यर्थी का तर्क ....

सुलह अधिकारी द्वारा किये गये प्रयास 1 ....
....

2 ....
....
....

...

आवेदक की असहमति के बिन्दु ....

प्रत्यर्थी की असहमति के बिन्दु ....

निर्णय ....

दिनांक ....

हस्ताक्षर
सुलह अधिकरण

प्ररूप–'झ'

[(नियम 17 देखें)]

अपील अधिकरण में अपील

.... अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत

जिला ....

अपील संख्या..

आवेदक :

नाम और पता ....

....

....

....

....

....

....

प्रकरण संख्या.. और आदेश का दिनांक ....जिसके विरूद्ध अपील की गयी है। संलग्न दस्तावेजों की प्रतियां ....

आधार

अपीलार्थी

सत्यापन

मैं, ...उपरोक्त उल्लिखित अपीलार्थी सत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त कथन और विवरण मेरी जानकारी, ज्ञान और विश्वास से सही है।

स्थान ....

दिनांक ....

अपीलार्थी

प्ररूप-'ञ'

[नियम 18 देखें]

धारा 16 के अधीन अपील की सूचना निर्गत करने का प्ररूप

.... अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत ....

अपील संख्या ....

आवेदक :

नाम और पता ....

....

प्रतिवादी ....

....

सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त उल्लिखित अपील, अपीलार्थी द्वारा प्रकरण संख्या........................ .... दिनांक .... के आदेश विरूद्ध दायर की गयी है। अपील .... को पूर्वान्ह/अपरान्ह.. ....बजे अंतिम सुनवाई के लिए लगाया गया है। व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि (एडवोकेट) के माध्यम से उक्त दिनांक एवं समय को आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। उपस्थित न हो पाने कीं दशा में अपील की सुनवाई तथा निपटारा एकपक्षीय किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिन .... दिनांक .... को जारी किया गया।

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी

प्ररूप-'ट'

[नियम 19 (1)]

.... अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत

अपील संख्या ....

आवेदक :

....

....

....

प्रतिवादी

....

....

....

सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त उल्लिखित अपील, अपीलार्थी द्वारा प्रकरण संख्या .... दिनांक .... के आदेश के विरुद्ध दायर की गयी है। अपील .... को पूर्वान्ह/अपरान्ह........... बजे अंतिम सुनवाई के लिए लगाया गया है। व्यक्तिगत रूप से या प्राधिकृत प्रतिनिधि (एडवोकेट) के माध्यम से उक्त दिनांक एवं समय को आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। उपस्थित न हो पाने की दशा में अपील की सुनवाई तथा निपटारा एकपक्षीय किया जाएगा।

मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिन .... दिनांक .... 2010 को जारी किया गया।

हस्ताक्षर

सक्षम प्राधिकारी

सरकार के आदेश से,

सुनील कुमार,

प्रमुख सचिव।